संख्या क0नि0-5-3055/11-2000-312(201)/99

प्रेषक,

यू0के0एस0 चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबंधन,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 7 जुलाई, 2000

विषय- प्रभारी उपनिबंधक के पद पर तैनाती / कार्य देखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन की जानकारी में यह बात आयी है कि नियमित उपनिबंधकों के अवकाश/ सरकारी कार्य के कारण कार्यालय में उपस्थिति न होने के कारण संबधित कार्यालय के निबंधन लिपिकों आदि को प्रभारी उपनिबंधको के रूप में कार्य करने की अनुमति सक्षम अधिकारी द्वारा दी जाती है। यह अनुभव किया गया है कि नियमों का ज्ञान न होने के कारण इन प्रभारी उपनिबंधको के द्वारा रजिस्ट्री का सही ढंग से परीक्षण न किये जाने से कर अपवंचन की गम्भीर शिकायतें प्राप्त होती रहती है तथा नियमित उपनिबंधक चूंकि इस अवधि में ड्यूटी पर नही होते है अतः इसके आधार पर वह अपने आपको निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करते है। कतिपय यह भी देखा गया है कि कुछ उपनिबंधक जानबूझकर अवकाश लेकर या ड्यूटी से बाहर रहकर यह प्रयास करते है कि प्रभारी उपनिबंधक द्वारा ही भारी करापवंचन संबंधी विलेख पंजीकृत किया जाय। अतएव इस प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिये यह निर्णय लिया गया है कि उपनिबंधक द्वारा कार्यालय वापस आने पर उसकी अनुपस्थिति में जो बैनामें किये गये है उसकी वह जॉच करें तथा यदि कोई अनियमितता पायी जाये तो उसके निराकरण के लिये तत्काल यथोचित कार्यवाही की जाय। यदि वह ऐसा नही करते है तो भविष्य में अनियमित्ता

के प्रकाश में आने पर नियमित उपनिबंधक को भी प्रभारी उपनिबंधक के साथ-साथ बराबर का दोषी माना जायेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन किया जाय तथा सभी संबधित अधिकारियों को अवगत करा दिया जाये।

भवदीय

ह०/–

(यू0के0एस0चौहान)

विशेष सचिव

संख्या क0नि0-5-3055(1)/11-2000 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 अपर सचिव, राजस्व परिषद/ स्टाम्प आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2 समस्त जिलाधिकारी/ अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व) उत्तर प्रदेश।

3 समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।

आज्ञा से

ह०/–

(सुभाष चन्द्र राय)

उप सचिव